कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोड़ा।

पत्रांकः–सीएफओ/एन/एएलएम/2023(13) **दिनांकः अप्रैल 15 ,2024**

स्वामी/प्रबंधक
स्प्रिंग ड़ेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल
निकट टैक्सी स्टैण्ड़, अल्मोड़ा

विषय : <u>अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।</u>

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–38771460, दिनांकः 15.03.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Servicesके वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.03.2024 के अनुसार प्रथम ब्लॉक में भूतल में 04 कमरे, प्रथम तल 17 कमरें, द्वितीय तल में 12 कमरे व छत पर टिन सैड में 04 कमो कुल 37 कमरे व द्वितीय ब्लॉक में भूतल में एक हॉल, प्रथम तल में 06 कमरे, द्वितीय तल मे 05 कमरे स्थापित है। दोनो ब्लॉको की कुल ऊँचाई 10 मीटर है। जिसमें अग्निशमन सुरक्षा हेतु सीओटू टाईप 4.5 कि0ग्रा0 06 अदद, एबीसी टाईप के 04 किग्रा के 28 अदद् व कुल 05 होज रील स्थापित है, निरीक्षण आख्या दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुसार भवन निर्माण मानचित्र/शासन द्वारा जारी भवन उपविधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से भवन उपयुक्त पाया गया है। जिस कारण भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः आपके क्लिनिक का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (दो ब्लॉक में 48 कमरे व एक हॉल हेतु) दिनांकः 14 अप्रैल 2024 से 13 अप्रैल 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation)प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
05 संस्थान के अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
06 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
07 भवन के मानचित्र स्वीकृति की जिम्मेदारी पूर्णतः स्वामी की होगी यदि किसी विभाग/व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
08 भवन की भूकम्प रोधी सम्बंधी निरीक्षण व पार्किंग के संबन्ध में संबंधित से परमीशन लिया जाना आवश्यक होगा।
09 भवन की संरचना विद्यालय के मानक को पूर्ण करता हो की जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र संख्या: सीएफओ–फा0नि0/2024(1) दिनांक फरवरी 22, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिंक रोड़ नियर टैक्सी स्टैण्ड का अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर आख्या बिन्दुवार उपलब्ध किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिंक रोड़ नियर टैक्सी स्टैण्ड अल्मोड़ा का निरीक्षण दिनांक 06.03.2024 को किया गया जिसकी निरीक्षण आख्या बिन्दुवार निम्नवत् सादर सेवा में प्रेषित है।

1– स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिंक रोड़ नियर टैक्सी स्टैण्ड अल्मोड़ा में भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन के अनुसार निर्गत मानकों का पालन किया गया है तथा भवन को पूर्व में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत की गई है।

2–भवन/भवन सम्बन्धी सभी अभिलेखो का परीक्षण कर लिया गया है भवन अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया भवन में आने–जाने का अलग–अलग रास्ते का प्राविधान किया गया है। अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की गई है।

3–भवन नेशनल बिल्डिंग भाग–4 (लाईफ एण्ड सेफ्टी) में निहित मानकों के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था की गई है।

4– स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिंक रोड़ नियर टैक्सी स्टैण्ड अल्मोड़ा को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकता है।

अतः निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांक–एफ0एस0–अ0सु0/2024
दिनांक मार्च 15, 2024

अग्निशमन अधिकारी
फायर स्टेशन अल्मोड़ा।